

Sl.	Districts	No. of blocks	No of ASHA	Drug Kit replenishment for ASHAs @ Rs. 300/ASHA (In Lacs) FMR-B16.2.5.2
1	Agra	15	2094	6.28
2	Aligarh	12	2153	6.46
3	Allahabad	20	3666	11.00
4	Ambedkar Nagar	9	2317	6.95
5	Auraya	7	984	2.95
6	Azamgarh	22	2763	8.29
7	Bagpat	6	875	2.62
8	Bahraich	14	2160	6.48
9	Ballia	17	2518	7.55
10	Balrampur	9	1435	4.30
11	Banda	8	1075	3.22
12	Barabanki	15	2502	7.51
13	Bareilly	15	1868	5.61
14	Basti	14	1989	5.97
15	Bhadohi (Sant Kavidas Nagar)	6	1177	3.53
16	Bhim Nagar (Sambhal)	8	1378	4.13
17	Bijnor	11	2155	6.46
18	Budann	15	2050	6.15
19	Bulandshahar	16	2060	6.18
20	Chandauli	9	1587	4.76
21	Chitrakoot	5	725	2.17

ASHA Drug Kit

महोदय,  
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित PIP वर्ष 2013-14 के एक0एम0आर0 कोड सं0-B16.2.5.2 के अन्तर्गत  
₹ 300/- प्रति आशा की दर से आषाढ़ियाँ हेतु अनुमोदित किया गया है जिसका जनपदवार विवरण  
निम्नानुसार है।

विषय- आशा ड्रग किट दिव्य जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

पत्र संख्या- 40क0/08-प्रश0/आशा ड्रग किट/2013-14/

दिनांक- 14-8-2013

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महानिदेशक  
परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश  
जगत नरयन रोड, लखनऊ

प्रभक,

256

256

63	Pratapgarh	17	2851	8.55
62	Prabhuddha Nagar (Shamli)	5	794	2.38
61	Pilibhit	7	992	2.97
60	Panchshil Nagar (Hapur)	4	504	1.51
59	Muzaffarnagar	9	1579	4.74
58	Moradabad	8	1492	4.48
57	Mirzapur	12	1641	4.92
56	Meerut	12	1313	3.94
55	Mau	9	1598	4.79
54	Mathura	10	1514	4.54
53	Mainpuri	9	1425	4.28
52	Mahoba	4	633	1.90
51	Maharajganj	12	1960	5.88
50	Lucknow	8	1245	3.73
49	Lalitpur	6	743	2.23
48	Lakhimpur Khairi	15	2921	8.76
47	Kushinagar	14	2684	8.05
46	Kaushambi	8	1248	3.74
45	Kashi Ram Nagar (Kasganj)	7	1045	3.13
44	Kanpur Dehat (Kama Bai Nagar)	10	1608	4.82
43	Kanpur Nagar	10	1396	4.19
42	Kannauj	8	1463	4.39
41	JP Nagar (Amroha)	6	927	2.78
40	Jhansi	8	1095	3.28
39	Jaunpur	21	3803	11.41
38	Jalaun	9	855	2.57
37	Hathras	7	1084	3.25
36	Hardoi	19	2558	7.67
35	Hamirpur	7	849	2.55
34	Gorakhpur	19	2283	6.85
33	Gonda	16	2484	7.45
32	Ghazipur	16	2923	8.77
31	Ghaziyabad	4	516	1.55
30	G.B. Nagar	4	538	1.62
29	Firozabad	9	1232	3.70
28	Fatehpur	13	1714	5.14
27	Farrukhabad	7	1176	3.53
26	Faizabad	11	2298	6.89
25	Etawah	8	1095	3.28
24	Etah	8	1411	4.23
23	Deoria	16	2264	6.79
22	CSM Nagar (Amethi)	16	2060	6.18

\*From existing stock at Sub Centre/PHC under Malaria, MCH and FW Program

Sr.No.	Particulars	Qty.
1	DDK	10
2	I/A Tablets (Large)*	1000
4	ORS Packet (WHO)*	100
5	Tab. Paracetamol	200
6	Tab. Dicyclomin	50
7	Povidine Ointment 20 gm.	2
8	Cotton Absorbent Roll(500 gm)	1
9	Bandage 4 cm X 4 mtr	10
10	Tab. Chloroquine*	50 Tab.
11	Condoms*	500
12	Oral Pills (in Cycles)*	300

- आशा खंग कित दिये जाने हेतु दिशानिर्देश-
1. आशा खंग कित का उद्देश्य प्रदेश की सभी आशाओं को त्वरित एवं सीमित उपचार हेतु आवश्यक दवायें निःशुल्क वितरण हेतु दी जाती है।
  2. आशा खंग कित दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर विपक हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं अतः प्रयास होना चाहिये कि दवायें अलग अलग रंगों में हों। जिससे कि आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।
  3. भारत सरकार द्वारा आशा खंग कित दिये जाने के सम्बन्ध में जारी माहल दिशा निर्देशों के अनुरूप खंग कित में निम्न औषधियों को आशाओं को दिया जाने का प्रावधान है।

	820	126280	Total
64	15	1885	5.66
65	6	1362	4.09
66	11	1769	5.31
66	9	1116	3.35
67	15	1865	5.60
68	15	1865	5.60
68	5	915	2.75
69	14	1752	5.26
70	19	2879	8.64
71	19	2879	8.64
71	8	1094	3.28
72	8	1094	3.28
72	13	2298	6.89
73	13	2298	6.89
74	16	2224	6.67
74	16	2224	6.67
75	8	1778	5.33
75	8	1778	5.33
Total	820	126280	378.84

कम	1						
सं०	2						
आषाढ़ का	3						
नाम	4						
आषाढ़ का	5						
चिन्ह	6						
आरंभ में	7						
माह के	8						
अंतिम							

**आशा जूग किट स्टाक रजिस्टर का प्रारूप (प्राकृ 1)**

1. आशा जूग किट स्टाक रजिस्टर का प्रारूप (प्राकृ 1) इसकी एक प्रति बहुउद्देशीय कर्मी अथवा आशा फ़ैसलिटैटर के पास भी रहनी जिसका उपयोग वह आशा जूग किट की रिकॉलिंग करने समय करेगा। इसके साथ ही साथ उनके पास एक कान्सोलिडेटेड रिफिल स्टेटमेंट रजिस्टर (प्राकृ 2) होगा जो उनके द्वारा ब्लाक अथवा जनपद स्तरीय स्टाफ को दिया जाएगा जहाँ से वे दवायें प्राप्त करेंगे।
2. आशा जूग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो।
3. date के निकट हो या Expire हो गई हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात को ध्यान समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से जूग किट में कोई दवा Expiry आकार के अनुक्रम दवायें इस प्रकार रिफिल की जायेंगी जिससे कि आशायें भ्रमित न हों। रिकॉलिंग करते में प्रत्येक दवा के पहचान चिन्ह को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके पश्चात दवा के पहचान चिन्ह, रंग व जूग किट में दी जाने वाली दवाओं को प्लास्टिक की बोतल अथवा एमाल्टिक के पारदर्शी लिफाफे/कवर किट की आवश्यकता के आधार पर ही रिकॉलिंग किया जाना उचित होगा।
4. जूग किट की रिकॉलिंग की जा सकती है किन्तु बाद में इस प्रक्रिया के स्थापित हो जाने के पश्चात जूग निवृत्त हो जाय। यूजआल में रिफिल करने हेतु दवाओं की एक निश्चित मात्रा निश्चित कर आशा के करने के बाद इस प्रकार रिफिल किया जाएगा जिससे आशा के पास फिर से अगले तीन माह का स्टाक समय पर बहुउद्देशीय कर्मी अथवा आशा फ़ैसलिटैटर द्वारा आशा के पास बचे हुए स्टाक की जानकारी प्रथम बार दिये जाने वाली जूग किट में 3 माह का स्टाक दिया जाएगा तथा इसके पश्चात निश्चित जूग किट की रिकॉलिंग प्रत्येक माह अथवा दो माह में एक बार की जायेंगी।
5. मुख्य बहुउद्देशीय कर्मी अथवा आशा फ़ैसलिटैटर को प्रतिभाग करना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा प्रारंभिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होने वाली कलस्टर आधारित मासिक बैठकों में फ़ैसलिटैटर को इस कार्य हेतु बरीयता दी जायेंगी।
6. प्रारंभिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य बहुउद्देशीय कर्मी अथवा आशा फ़ैसलिटैटर को दवाओं की रिकॉलिंग हेतु जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुख्य बहुउद्देशीय कर्मी न होने की दशा में 1000000 का यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। आशा फ़ैसलिटैटर की उपलब्धता की स्थिति में आशा
7. प्रारंभिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य बहुउद्देशीय कर्मी अथवा आशा फ़ैसलिटैटर को दवाओं की परिवर्तन किया जा सकता है।
8. भारत सरकार के पत्र संख्या A11033 / 45 / Trg दिनांक अक्टूबर 2009 के द्वारा अंगत करया गया है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुक्रम आशा जूग किट में उपलब्ध औषधियों की सूची व मात्रा में

परिवार कल्याण  
महानिदेशक,

(M.R.H.M.)

1. समस्त मजदुरगण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, विभिन्न एवं स्वास्थ्य सेवाय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दौर नगर, लखनऊ।
5. समस्त मजदुरीय अपर निदेशक, विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. समस्त मजदुरीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ०प्र०।
7. जिल निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
8. समस्त विभिन्न वरिष्ठ जिल एवं जिलाधिकारी/जिल एवं जिला आधिकारी, कार्यालय मुख्य आधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिने गये निदेशों के अनुसार जिल प्राधानों का कड़ाई से पालन करें तथा जय विवरण समय से भुगताना सुनिश्चित करें।
9. महामन्त्र, एम०आर०एच०एम० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय आजीविका स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परिवार कल्याण  
महानिदेशक,

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को संचालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
पत्र संख्या- 4040/08-प्रशि०/आशा डी ग किट/2012-13/227-227 तददिनांक

भवदीय

जिससे उनके द्वारा भी प्रक्रिया में सहभागिता की जा सके।

9. बहुउद्देशीय कमी अथवा आशा फ़ैसलिटेटर प्रत्येक आशा मासिक बैठक के पूर्व दवायें अपने स्तर से प्राप्त करें तथा दवाओं के विवरण होने तथा बैठक समाप्त के पश्चात बाकी की बची दवायें अपने स्तर को निर्धारित प्रपत्र पर दवाओं के विवरण की स्थिति पूर्ण विवरण के साथ जमा करें।
10. अनुभव एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से ए०एन०एच० के स्तर पर तत्पश्चात आशा फ़ैसलिटेटर के स्तर पर ही गई दवाओं के बेहतर विवरण व्यवस्था व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नवादी ही जाये। आशा मॉडरिग ग्रुप के सदस्यों को उपरोक्त के अनुसार एवं मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से बैठकों में अवगत कराया जाय जिससे उनके द्वारा भी प्रक्रिया में सहभागिता की जा सके।

नामित स्वास्थ्यकर्मी के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम	आशा के स्तर पर कुल औषधियाँ का स्टाक	कुल औषधियाँ जो हटा ली गई	कुल डी ग रिफिल की मात्रा
1				
2				
3				
4				
5				

नामित स्वास्थ्यकर्मी के स्तर पर कन्सोलिडेटेड रिफिल स्टेटमेंट सविस्तर का प्राक्क (प्राक्क 2)

महानिदेशक, परिवार कल्याण  
दिनांक 9-10-13